

राज्य साख योजना 2009-10

STATE CREDIT PLAN 2009- 10

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

विभाग का नाम :-कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर।

1.	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। यदि कोई हो तो, (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी योजनावार प्रेषित की जाए।) Name of the Scheme with sub-components if any.	कृषि यांत्रिकीकरण के प्रोत्साहन की योजना अंतर्गत (1) ट्रैक्टर क्रय पर अनुदान। (2) पावर टिलर क्रय पर अनुदान। (3) हस्त चलित/बैल चलित/शक्ति चलित यंत्रों पर अनुदान। (4) कम्बाईन हारवेस्टर पर अनुदान। Promotion of Farm Mechanization. (1) Subsidy on purchase of Tractor. (2) Subsidy on Purchase of Power Tiller. (3) Subsidy on Hand Operated/Bullock Driven/Power Driven Agricultural implements. (4) Subsidy on combine Harvester.
2.	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है ? Whether is a Government of India/ State Government sponsored scheme?	योजना भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित है। Centrally Sponsored Scheme.
3.	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal department/directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.	कृषि (अभियांत्रिकी) संचालनालय छ.ग. रायपुर। Directorate of Agriculture(Engineering) CG Raipur.
4.	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal office at the district level responsible for implementing Scheme.	उप संचालक कृषि, कृषि विभाग। Dy Director Agriculture, Department of Agriculture.

5.	<p>योजना का उद्देश्य.</p> <p>Objective of the Scheme.</p>	<p>प्रदेश में कृषि यांत्रिकीकरण के स्तर को बढ़ाने के लिये 40 पी.टी.ओ. हार्सपावर तक के ट्रैक्टर पर तथा 8 बी.एच.पी. एवं उससे अधिक के पावर टिलर पर रू. 45 हजार का अनुदान दिया जाता है। एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 8 बी.एच.पी. से कम के पावर टिलर पर रू. 25,000/- अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कृषि यंत्रों पर 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है जिससे कृषकों के समय, श्रम की बचत हो सके तथा उत्पादन में वृद्धि हो सके।</p> <p>To increase the level of Agriculture mechanisation in the state subsidy upto Rs 45,000/- is given on tractor upto 40 PTO HP, Power Triller of 8 BHP and below of 8 B.H.P. of power tiller Rs 25000/- subsidy is given in Hilly areas. Besides this, 25% subsidy is given on Agri Implements which save time & labour of the farmer and help in increasing the crop production.</p>
6.	<p>क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए।</p> <p>Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State? If not, indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation.</p>	<p>यह योजना सभी जिलों में क्रियान्वित हो रही है।</p> <p>This scheme is being implemented in all districts of State.</p>
7.	<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये हैं (लघु कृषक/सीमांत कृषक/ अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष महिला आदि)</p> <p>Type of beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/Others/Men/ Women, etc.)</p>	<p>योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के कृषक सम्मिलित है।</p> <p>All types of Farmers are covered under the scheme.</p>
8.	<p>हितग्राहियों के लिए पात्रता मानदण्ड, आदि कोई हो तो</p> <p>Eligibly criteria for the beneficiary if any.</p>	<p>जिन हितग्राहियों के पास ट्रैक्टर, पावर टिलर तथा वांछित कृषि यंत्र नहीं है, उन्हें ही पात्रता होगी।</p> <p>Those Beneficiaries who do not have tractor, power triller and required agriculture implements are eligible.</p>

9.	<p>क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।</p> <p>Whether assistance is provided on an individual basis/ group basis/both individual and group basis.</p>	<p>ट्रैक्टर हेतु सहायता दोनों, व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है। पावर टिलर एवं अन्य कृषि यंत्रों पर सहायता व्यक्तिगत रूप से दी जाती है। कम्बाईन हारवेस्टर पर समूह में अनुदान दिया जाता है।</p> <p>Assistance is provided both on an individual and group basis in case of Tractor. But in case of Power Tiller and other agricultural implements subsidy is given on individual basis. Assistance to provided on group basis on combine Harvester.</p>
----	--	---

<p>10</p>	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिए अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाए। दर (प्रतिशत) न्यूनतम अधिकतम</p> <p>Details of subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary please give category wise details Rate (%)</p> <p>Minimum, Maximum GOI Contribution State Government Contribution</p>	<p>दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि यंत्रिकीकरण को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत कृषकों को दिये जाने वाले अनुदान का विवरण</p> <p>The details of subsidy provided to farmers by various central schemes to provide incentive to Agriculture Mechanization :-</p>
<p>Ø- S.No</p>	<p>घटक Description</p>	<p>कृषकों को शासन द्वारा दिया जा रहा अनुदान Subsidy Provided to Farmers by the Govt.</p>
<p>1.</p>	<p>40 पी.टी.ओ. हार्सपावर तक के ट्रैक्टर Tractor upto 40 P.T.O. HP</p>	<p>कीमत का 25% अधिकतम रु 45,000/- तक 25% of Total cost & Max. Rs 45,000/-</p>
<p>2.</p>	<p>8 बी.एच.पी. से कम के पावर टिलर 8 बी.एच.पी. तथा अधिक के पावर टिलर Power Tillers of 8 BHP & above</p>	<p>कीमत का 40% अधिकतम रु 25,000/- तक कीमत का 40% अधिकतम रु 45,000/- तक 40% of Total cost & Max. Rs 25,000/- 40% of total cost & Max. 45000/-</p>
<p>3.</p>	<p>स्वचलित कृषि मशीन जैसे रीपर, पैडी ट्रांसप्लान्टर आदि। Self Propelled Agriculture Machine ie Ripper, Paddy Transplanter etc</p>	<p>कीमत का 25% अधिकतम रु 40,000/- तक 25% of Total cost & Max. Rs 40,000/-</p>
<p>4.</p>	<p>विशेष प्रकार के शक्ति चलित यंत्र जैसे पोटेटो प्लांटर, पोटेटो डिगर, ग्राउण्डनट डिगर, स्ट्रिप टिल ड्रिल, ट्रैक्टर चलित रीपर, क्लीनर- कम- ग्रेडर, झायर, स्टबलशेवर, मोबाईल फ्रुट हार्वेस्टर, पॉवर वीडर, मिनी राईस मिल, दाल मिल, कल्टीपेकर, ऑनियन हार्वेस्टर डी-टॉपिंग अटैचमेंट के साथ, कैंट हार्वेस्टर, मोटोराईज्ड बनाना फाईबर मेकिंग मशीन आदि।</p>	<p>कीमत का 25% अधिकतम रु 15,000/- तक 25% of Total cost & Max. Rs 15,000/-</p>
<p>Special power driven</p>		

11	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देय का प्रावधान है। यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए। Whether any margin money is envisaged from the beneficiary other than subsidy being provided. If so, details there of may please be provided for different categories of the beneficiaries.</p>	<p>बैंक ऋण में 10 प्रतिशत मार्जिन मनी हितग्राही को जमा करना होता है। The Beneficiary has to pay 10% margin money on Bank Loan.</p>
12	<p>किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनांतर्गत अपेक्षित हैं। Type of economic activities envisaged under the Scheme.</p>	<p>कोई नहीं Nothing</p>
13	<p>क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि हाँ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें। Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/ group if so. please give details.</p>	<p>कोई नहीं Nothing</p>
14	<p>क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है। Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.</p>	<p>बैंक ऋण का प्रावधान है। Provision of Bank Loan is there.</p>
15	<p>क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिए गए हैं। Whether any project profiles, etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.</p>	<p>आवश्यकता नहीं है। Not Required.</p>

